प्रकाशनार्थ / प्रसारणार्थ

चुनाव आयोग व अन्य संवैधानिक संस्थाओं से
कांग्रेस करती रही है छेड़छाड़– सुशील मोदी

पटना 18.05.2019

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चुनाव आयोग सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओ की गरीमा को गिराना और उसके कामकाज में हस्तक्षेप करना कांग्रेस की आदत रही है। 1989 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मनोनुकूल काम नहीं करने से उत्पन्न मतभेद के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पेरी शास्त्री के पर कतरने के लिए तो 1993 में टी एन शेषन से मतभेद के बाद पी वी नरसिंहा राव ने एक सदस्यीय चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बनाया था।

श्री मोदी ने कहा कि राजीव गांधी द्वारा चुनाव आयोग को त्रिसदस्यीय बनाने के निर्णय को वी पी सिंह की सरकार ने पलट कर फिर से एक सदस्यीय कर दिया था। मगर 1993 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन से विवाद के बाद कांग्रेस की नरसिंहा राव की सरकार ने आयोग के कार्यकलाप में हस्तक्षेप करते हुए उसे फिर से तीन सदस्यों में परिवर्तित कर दिया।

चुनाव आयोग में किसी मुद्दे पर सर्वानुमति नहीं होने की स्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की नियमावली कांग्रेस के कार्यकाल में ही बनाई गई थी। अगर वर्ममान चुनाव आयोग में किसी मुद्दे पर सर्वसम्मति नहीं है तो यह आयोग का आन्तरिक मामला है और इसमें वर्तमान केन्द्र सरकार की कोई भूमिका व हस्तक्षेप नहीं है।

उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र नगर में 07 बजे करेंगे मतदान

पटना 18.05.2019

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी 19 मई, 2019 को पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत संत जोसेफ हाईस्कूल स्थित बूथ संख्या–49, राजेन्द्र नगर रोड न. 5 (शाखा मैदान के निकट) सुबह 07 बजे मतदान करेंगे।